FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत सहायक कलक्टर एवं S.D.O. मुकाम बायतु

भींयाराम बनाम अचलाराम वगैरा

किस्म मुकदमा रा०का०अ० 111, 128 RTRAct नं. 63/20 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/03/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री नरपत सिंह एड० ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 RTRAct राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 12/05/2020 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
12/05/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस तामील मय तामील रिपोर्ट। चूंकि पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 29/09/2020 को पेश हो।	
29/09/2020	[illegible] पेश हुई। पक्षकार [illegible] पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त है। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 08/03/21 को पेश हो।	
08/03/2021	[illegible] उपस्थित पीठासीन [illegible] पद रिक्त है अतः पत्रावली [illegible] दिनांक 13/07/2021 को पेश हो।	

अज अदालत

तारीख हुक्म

13/07/2021 पत्रावली पेश [illegible] पीठासीन अधिकारी [illegible] पद रिक्त है
अतः पत्रावली [illegible] दिनांक 14/10/2021
को पेश हो।

14/10/2021 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस तामील हिसाब तामील अप्राप्त। चूंकि पीठासीन अधिकारी प्रशासनिक गांवों के संग अभियान-2021 कैम्पों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 21/04/2022 को पेश हो।

21/04/2022 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनकी डिलेवरी रसीदें प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा पेश की गई। विपक्षीगण बावजूद तामील मनुउपस्थित न्याय-लय समय तीन बार आवाज लगाई गई विपक्षीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विपक्षीगणों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है अतः वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 27/04/2022 को पेश हो।

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाड़मेर) मुकाम बायतु

तारीख हुक्म	**हुक्म** कार्यवाही **मय** इनिशियल्यस **जज**	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
27/04/202	प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढ़ा सेढ़ आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वंय या अपने अधीनस्थः भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। सत्यापक [illegible] (SDO) बायतु	

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक : 27/04/2022

क्रमांक : वाद / 2022 / 457

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

1. भींयाराम पुत्र देराजराम, जाति जाट, निवासी बायतु पनजी, पटवार मण्डल बायतु पनजी, तहसील बायतु (बाड़मेर)

1. अचलाराम पुत्र आईदानराम वगैरा 14, जाति सुथार, निवासी बायतु पनजी, पटवार मण्डल बायतु पनजी, तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 63 / 2020

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा – बायतु पनजी, पटवार मण्डल – बायतु पनजी, तहसील – बायतु, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 726 रकबा 0.7766 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500/– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। आवश्यक होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक : 27/04/2022

क्रमांक : वाद / 2022 / 458-62

प्रतिलिपिः–**निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।**

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का बायतु पनजी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री भींयाराम पुत्र देराजराम,
4. विप्रार्थी श्री अचलाराम पुत्र आईदानराम वगैरा 14,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु / गिड़ा / नागाणा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
(SDO) बायतु